P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349-980X

महिला शोषण एवं मानव अधिकार

सुनीता मिश्रा (द्विवेदी)
सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्षा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय नवीन महाविद्यालय,
खुर्सीपार भिलाई,(छ. ग.)

सारांश

भारत वर्ष में मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, परन्तु इसके साथ ही महिलाओं एवं लड़कियो के मानव अधिकारों का हनन सर्वाधिक किया जाता रहा है। महिलाओ के अधिकारों को सर्वप्रमुख शिक्षा के माध्यम से दिया जा सकता है। इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा के द्वारा ही मानव का निमार्ण संभव है यदि प्रत्येक मनुष्य मानव बन जाय तो यह अतिसंयोक्ति नही होगी कि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन नही होगा, और इसका विष्व से पूर्णतः उन्मूलन हो जायेगा ।

मुख्य शब्द : सृष्टि, ब्रम्ह्य और शक्ति, रचनात्मकता

प्रस्तावना

सृष्टि की रचना के साथ ही महिलाओं की रचनात्मकता, समाज, वंश परिवार की अनिवार्यता रही है। संसार में शक्ति के बिना न तो किसी लौकिक कार्य में सफलता मिलती है, न किसी साधना में सिद्धि। ब्रम्ह्य और शक्ति के संयोग से ही संसार की उत्पति होती है इस महत्वपूर्ण सहभागिता के बावजूद भी महिलायें प्रायः हर काल में उपेक्षित रही है।

वैदिक काल का स्वर्णिम नारी इतिहास अतीत की धरोहर बन कर रह गयी है। महिलायें कालांतर के विभिन्न युगों के उतार चढ़ावों से होती हुई उत्तरोत्तर उत्पीड़न का शिकार रही है।

19वी शताब्दी में मिले संवैधनिक समानधिकार,शिक्षा,व्यवसाय अर्थिक आत्मनिर्भता, के मिलते अवसरों ने एक ऐसा परिदृश्य स्थापित किया कि ऐसा लगने लगा महिलायें विकास के उच्च आयामों तक पहुंचने लगी हैं लेकिन ये अवसर मुट्ठी भर महिलाओं को ही प्राप्त हुआ। आज भी समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली मलिआयें अधिकाशंतः किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का शिकार है। अंतर केवल इतना है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर महिलाओं ने उत्पीड़न का भी विस्तार कर लिया है। नगरों या ग्रामों में होने वाले अपराधों में 40 प्रतिशत अपराध महिला उत्पीड़न के होते हैं। जबकि अनेकों अपराधों का सूचना थाने तक पहुंच ही नही पाती है।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की विश्व घोषणा ने विभिन्न विषयों पर मानव अधिकारों की विस्तृत सूचना प्रस्तुत की थी तबसे वर्तमान तक निरंतर प्रयास किये जाते रहे। लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है, तमाम तरह के महिला कानूनों के भी बावजूद भी अधिकांश महिलाओ अशिक्षित शोषित, पीड़ित और लाचार है। आज भी समाचार पत्र महिलाओं के प्रति दैहिक शोषण कुर व्यवहार और छेड़खानी की खबरों से भरे रहतें है।

यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें विशेष तौर से कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत की आधी जनसंख्या महिलाओं की है फिर भी वे दो तिहाई काम करती है। कुल आय का दसवां हिस्सा पाती है किन्तु कुल संपत्ति का सौवा हिस्सा ही इनके पास है।

बिजींग में सम्पन्न हुई चौथी अर्न्तराष्ट्रीय महिला संगोष्ठी में महिला उत्पीड़न को बारह महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी भारतीय परिवेश में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन 54 मिनट में एक बलात्कार, 23 मिनट में एक अपहरण और 42 मिनट में दहेज के कारण एक मृत्यु हो रही है। जामाजिक विकास के बढ़तें अवसरों के बावजूद इन आंकड़ों में वर्ष प्रति वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है।

समाज की संकीर्ण विचार धाराओं ने पर्दा प्रथा बाल विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा, दहेज आदि कुप्रथाओं के नाम पर स्त्रियों को शिक्षा व समाजिक, आर्थिक विकास से वंचित रखा। कीर्ति और स्तत्व की इच्छा ने

आदमी में मन स्त्रियों के दमन की इच्छा पैदा की और इस तरह धीरे –धीरे वह व्यक्ति न रहकर एक वस्तु व भोग्या बन कर रह गई।

भारत में शिक्षा एवं विकास के अवसर जैसे–जैसे महिलाओं को प्राप्त होने लगें, उनकी सामाजिक सहभगिता बढ़नेलगी। पाश्चात्य संस्कृति औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार के साधनों के विकास, सरकारी प्रयत्नों ने उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में सहयोग प्रदान किया। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने तो मानों बरसों से जकड़ी पराधीनता की चूलें हिला दी ऐस लगने लगा कि आज की नारी शोषण से मुक्त होने लगी है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नही है। आज भौतिकवादी युग में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में उत्पीड़न की शिकार है।

भारतीय इतिहास में त्याग, ममता, सेवा, ज्ञान, वीरता और साहस के बल पर पहचानी जानेवाली नारियों का स्थान पाश्चात्य सभ्यता के मकड़जाल में लिपटी नारियों ने ले लिया है। आजकल मीडिया के साधनों ने नारी की ग्लैमरस छवि को उभारने पर अधिक घ्यान दिया है। बजाय उसकी बौद्धिक उपलब्धियों को प्रचारित करने के ग्लैमर की रंगबिरंगी दुनिया ने युवा पीढ़ी को आकर्षित किया है। जहां बिना योग्यता के भी सिर्फ देह प्रदर्शन के जरिए अधिक पैसा और ख्याति मिले तो स्वभाविक है।युवतियां इन पेशों को ज्यादा से ज्यादा अपनायेंगी, आज गली मोहल्ले में हो रही सौन्दर्य प्रतियोगिताओं इस बात का प्रतीक है। कि आज की युवतियों का आदर्श इंदिजा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चांवला नहीं, ऐश्वर्या राय, युक्तॉ मूखी आदि हैं।

आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नही कराई हों, जैसे कृषि, तकनीकी, बैंकिंग, शेयर बाजर, अंतरिक्ष विज्ञान आदि पुरुषों द्वारा स्थापित व्यवस्था में अपनी संघर्षमयी एवं सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलायें गिनी चुनी है। खेत खलिहान में एवं रोजी कमाने वाली महिलायें ठेकेदारों, मालिको, सहयोगियों की छेड़खानी और अश्लीलता को सहन परिस्थितिजन्य मजबूर है।

कार्यालयों में, संस्थाओं में कार्यरत महिलायें भी सभ्य षिक्षित समझे जाने वाले वर्ग के दोमुंहेपन का शिकार है। स्वतंत्रता की आड में संभ्रान्त वर्ग की महिला भी दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न सहने बाध्य है। समाज के प्रेत्यक वर्ग व स्तर में महिलाये पुरूष वर्ग से पति, पिता, पुत्र सहकर्मी अधिकारी आदि किसी न किसी रूप में शोषित हैं। अपने अस्तित्व की सुरक्षा एवं शोषण क्रूर व्यवहार और छेड़खानी के मामने पूरे देश में सर्वाधिक रूप से म॰प्र॰ में ही दर्ज है। जबकि ये आंकड़े पूरी वास्तविक का अल्प मात्र है। अधिकाशं सूचनाएं परिवार समाज के भय से वही रफा – दफा कर दी जाती है।

इन सभी परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यदि महिलाओं को समर्थ बनाना है तो महिलाओं को दबाकर रखने वाली ताकतों के खिलाफ निरंतर सामूहिक संघर्ष को एक सतत् प्रक्रिया बनाना होगा।

समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक और जो भी संसाधन समाज के पास है, उनमें महिलाओं को बराबर का हक मिल सके। इस संबधं में मध्यप्रदेश में महिला नीति बनाई गई । अगर इसे गंभीरतापूर्वक अमल में लाया गया तो महिलाओं को सम्मानपूर्वक बराबरी से खडे. होने का अधिकार मिल सकेगा। महिलओं की स्थिति में सुधार हेतु इन नीतियो को पूरे देश में गंभीरता से लागू किया जाये।

1 नारी जीवन का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता ।
2 समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना एवं निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3 महिलाओं का आत्म विश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना ।
4 सभी क्षेत्रो में विकास के प्रयासों का भरपूर लाभ उठाने के लिये महिलाओं को समर्थ बनाना।
5 आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना ।
6 यह सुनिश्चित करना कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो ।
7 महिलाओं के मामले में समाज के रवैये में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।
8 महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा की रोकथाम करना।

इन लक्ष्यो की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जाये कि महिलाओं के विकास का कोई क्षेत्र भी अधूरा र रह जायें इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास का सतत् मूल्यांकन भी किया जाये।

स्त्रियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी, कदम – कदम पर संरक्षण व सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करने की बजाय स्वयं इतनी सक्षम बने कि वो दूसरों को संरक्षण दे सकें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिये संघर्षमय रास्तों का चयन करें न कि विलासिता की चाह में अनैतिक रास्तों का।

स्वतंत्र भारत की नारी शिक्षित तो हो ही, विज्ञान की उत्पादन को, समाज–निर्माण की सभी योजनाओं में भी गतिशील हो उपर अपनी धुरी पर खड़ी होकर । धुरी से हटकर वह न स्वयं को संभाल पायेगी, और न घर परिवार, संतान को संभाल पायेगी।

देश निर्माण की बात इस सबसे बाहर होकर सोची ही नही जा सकती और स्त्री को निमार्ण में भगीदार बनाये बिना किसी देश का कल्याण संभव है, न विश्व का।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 सम्पादक –राजकिशोर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली – मानव अधिकारों का संघर्ष।
2 संपादन – महिला एवं बाल विकाश संचालनालय म॰प्र॰भोपाल क्रियान्वयन और उपलब्धियां, म॰प्र॰ महिला नीति ।
3 संपादक – आशरानी होरा, नेशनल पब्लिसिंग हाऊस, दरियागंज नई दिल्ली– भरतीय नारी अस्मिता और अधिकार।
4 प्रकाषक – श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान, उज्जैन राष्ट्रीय शोध पत्रिका – समाजिक सहयोग ।
5 गुप्ता सुभाषचंद्र – कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली ।